# न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 200/15 दायरा दिनांक : 13.07.2015

**अनवान :**

1. श्रीमती परमेश्वरो बाई पुत्री स्व0 श्री फौजा सिंह पत्नि श्री करनैल सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. श्रीमती जीतो बाई पुत्री स्व0 श्री फौजा सिंह पत्नि श्री जरनैल सिंह जाति रायसिख निवासी चक 24 एम.ओ.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. श्रीमती राणो बाई उर्फ रोजो बाई पुत्री स्व0 श्री फौजा सिंह पत्नि श्री जोगा सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम निरवाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. श्रीमती जंगीरो बाई उर्फ कश्मीर कौर पुत्री स्व0 श्री फौजा सिंह पत्नि श्री साधुसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम सीड फार्म पक्का तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर, पंजाब।
5. श्रीमती सरजीतो बाई पुत्री स्व0 श्री फौजा सिंह पत्नि श्री पोला सिंह जाति रायसिख निवासी तीन नम्बर गट्टी, फाजिल्का तहसील जलालाबाद जिला फिरोजपुर, पंजाब।

—— **प्रार्थीगण**

**ब ना म्**

1. श्री मक्खन सिंह
2. श्री संतोष सिंह
3. श्री गुरदीप सिंह

पिसरान स्व0 श्री फौजा सिंह जाति रायसिख निवासीयान चक 6 NRD (निरवाना) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— **अप्रार्थीगण**

## प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212(2) राजस्थान काश्तकरी अधिनियम

**उपस्थित अवधिवक्ता :–**

1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, वकील प्रार्थीगण सं. 1 ता 15
2. श्री दलबीर सिंह, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3

**निर्णय** दिनांक : 24/01/2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली में, पूर्व में, तर्क सुने जा चुके हैं। यह निर्णयार्थ प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा एक वाद–पत्र वास्ते खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 183 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर, वाद के साथ ही प्रार्थना–पत्र वाद अंकित भूमि में प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि पर वास्ते लगाये जाने नगद प्रतिभूति अथवा रिसीवर कायम कर उनके हिस्से व अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण ने कथन किया है कि चक 6 NRD तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 2073 की संयुक्त खाता संख्या 31 नई 29 पुरानी में मुरब्बा नं. 11 के पत्थर नम्बर 89/319 के किला नं. 1 ता 5/1.265 क0 मय खाल, 6 ता 20/3.795 क0, 21/2/0.228 क0, 22/2/0.228 क0, 23/1/0.228 क0, 24/1/0.228 क0, 25/2/0.228 क0 कुल 6.200 हैक्टयर (6.075 क0 व 0.125 खाला) खातेदारी कृषि भूमि लक्ष्मण सिंह पुत्र आत्मासिंह 3.100 है0 मक्खन सिंह – संतोष सिंह – गुरदीप सिंह पि0 फौजा सिंह ब0हि0ब0 1.808 है0 हिस्सा व परमेश्वरी बाई, जीतो बाई, राणो बाई, सरजीतो बाई, जंगीरो बाई पुत्रियां फौजा सिंह ब0हि0ब0 1.292 है0 हिस्सा जाति रायसिख सा0 निरवाना खातेदार के नाम से अंकित है जिसमें प्रार्थीगण ब0 हि0 ब0 1.292 है0 की अंकित हिस्सेदार, खातेदार व काबिज है। नकल जमाबन्दी

लगातार 2 पर

प्रार्थना–पत्र के साथ में पेश की हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 आपस में बहने व भाई हैं। जिन्हें उक्त वर्णित भूमि अपने पिता स्वर्गीय फौजा सिंह से विरास्तन प्राप्त हुई है। सभी संयुक्त रुप से काबिज होकर अपने–अपने हिस्सानुसार काश्त करते आ रहे थे। प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर काश्त करने में असुविधा होने पर अपने भाईयों अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को हिस्सा व ठेका पर देकर काश्त करवाई जाती थी। प्रार्थीगण द्वारा अपने नाम से अंकित 1.292 है0 कमाण्ड मय खाला ब0हि0ब0 भूमि दिनांक 13.04.2013 से 12.04.2014 तक एक वर्ष की अवधि के लिये 80,000/– रुपया में अप्रार्थीगण को ठेका पर दिया था। इस अवधि की समाप्ति पर ठेका की राशि प्रार्थीगण को अदा कर दी थी। इसलिये पुनः वर्ष–2014 से 2015 एक वर्ष की अवधि के लिये अपनी भूमि ठेका पर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को दी गई थी जिसकी अवधि 15.04.2015 को समाप्ति पर प्रार्थीगण ने ठेका की राशि की मांग अप्रार्थीगण से करने पर वे अदा करने से टाल मटोल करते रहे। बार–बार मांग करने पर उन्होंने प्रार्थीगण को कहा कि यह भूमि हमारी है आप लोग इस भूमि में क्या मांगती हो। हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे और न ही भूमि का कब्जा तुम्हें देंगे। अप्रार्थीगण हम प्रार्थीगण की उक्त वर्णित 1.292 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि पर दिनांक 15.04.2015 से मौका पर जबरदस्ती काबिज होकर हमारी कृषि भूमि पर फसल काश्त कर मौका पर फायदा उठाते आ रहे हैं जबकि प्रार्थीगण के चक में 20,000/– रुपया प्रति बीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से ठेका का भाव चल रहा है। प्रार्थीगण को उनकी भूमि में होने वाली फसल के लाभ से वंचित किये होने से उन्हें अपूर्णनीय क्षति हो रही है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 15.04.2015 को अपनी कृषि भूमि का सहमति से बंटवारा करवाने और अपनी भूमि के बकाया ठेका की राशि की मांग व भूमि का कब्जा अप्रार्थीगण से वापिस मांगने पर वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर जान से मारने के लिये प्रार्थीगण के पीछे भागे और कहने लगे कि तुमसे जो बन पड़े कर लो हम ना तो भूमि का बंटवारा करेंगे और ना ही कब्जा तुम्हें किसी भी कीमत पर देंगे। तुम्हारी जमीन का हम ही फायदा उठायेंगे। तुमसे जो बन पड़े कर लो हमारा चक 6 NRD के प. नं. 89/319(11) किला नं. 16, 17, 23, 24, 25 पर कब्जा चला आ रहा था इसी पर उन्होंने कब्जा किया है। इसलिये प्रार्थीगण अपने नाम से अंकित 1.292 है0 (कमाण्ड मय खाला) ब0हि0ब0 खातेदारी कृषि भूमि पर जबरदस्ती काबिज अप्रार्थीगण द्वारा दौराने वाद कब्जा बनाये रखने के लिये उनसे 20,000/– रुपये प्रति बीघा, प्रतिवर्ष के हिसाब से नकद प्रतिभूमि की राशि कायम कर अप्रार्थीगण से जमा करवाये जाने और यह राशि जमा नहीं करवाये जाने पर प्रार्थीगण की भूमि पर तहसीलदार सूरतगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया जाकर, भूमि का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर काश्त की व्यवस्था किये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों से इंकारी करते हुये अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि चक 6 NRD के प. नं. 89/319 की 24–10 बीघा भूमि का आवंटन हमारे दादा के नाम से हुआ था जिनकी मृत्यु के पश्चात हमारे पिता फौजा सिंह के नाम से रिकार्ड में दर्ज हुई। जिसमें हम पक्षकारान की बुआ द्वारा अपने हिस्सा का हक त्याग हमारे पिता के पक्ष में कर दिया गया था। इस प्रकार यह भूमि पिता की स्वअर्जित भूमि हो गई। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मुताबिक यदि किसी की मृत्यु 2005 से पूर्व हो चुकी है तो उसमें बेटियों का हक समाप्त हो चुका है। हम पक्षकारान के पिता फौजा सिंह की मृत्यु 1999 में हो चुकी है। हमारे पिता मृत्यु से पूर्व लम्बे अर्से से बीमार चल रहे थे। हम अप्रार्थीगण भाईयों ने ही खर्चा कर प्रार्थीगण का विवाह किया गया है। इन्होंने पंचायत में कहा था कि वे अपना हिस्सा ले चुकी है प्रार्थीगण बदयन्त है इसलिये इनका प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाया जावे।

दिनांक 15.01.2020 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि चक 6 NRD तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की चालू जमाबन्दी 2070 ता 2073 में प. नं. 89/319(11) के किला नं. 1 ता 25/6.200 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में 1.292 है0 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि अंकित है। हमने अपनी भूमि भाईयों अप्रार्थीगण को 13.04.2014 से 12.04.2015 तक एक वर्ष की अवधि के लिये ठेका पर 80,000/– रुपया में ठेका पर दी थी। जिसकी अवधि की समाप्ति पर अप्रार्थीगण द्वारा ठेका की राशि अदा नहीं की गई और दिनांक 15.04.2015 को भूमि के कब्जा की मांग और सहमति से बंटवारा

लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

करवाये जाने को कहा जाने पर वे स्पष्ट इंकार हो गये और एलानिया धमकी दी की ना तो ठेका राशि देंगे ना ही भूमि का कब्जा तुम्हें वापिस सौपेंगे तुमसे जो बन पड़े कर लो। अप्रार्थीगण को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर जान से मारने को उनके पीछे दौड़े। अप्रार्थीगण दिनांक 15.04.2015 से जबरन अप्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि पर जबरन अविधिक रुप से काबिज होकर इसमें मौका पर फसल काश्त कर लाभ उठाते आ रहे है। जिससे हम प्रार्थीगण वंचित होने से हमें अपूर्णनीय क्षति हो रही है। इसलिये हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिये न्यायहित में हमारे चक में प्रचलित ठेका के भाव 20,000/– रुपया प्रति बीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से नकद प्रतिभूमि की राशि अप्रार्थीगण द्वारा दौराने वाद प्रार्थीगण की 1.292 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी ब0हि0ब0 भूमि पर कब्जा बनाये रखने के लिये कायम की जावे। यदि वे नकद प्रतिभूति की राशि जमा नहीं करवाये तब प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में न्याय निर्णय RRD 1995 पेज नं. 76 प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त न्यायालय का ध्यान पत्रावली की आदेशिका दिनांक 31.01.2017 की तरफ दिलाते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.12.2016 को बंद अदालत द्वारा बंद कर दिया गया थां जिसे खुलवाने के लिये निवेदन किये जाने पर अदालत द्वारा जवाब बंद किये जाने के आदेश इस शर्त के साथ निरस्त किये गये थे कि यदि दिनांक 09.02.2017 को यदि अप्रार्थीगण द्वारा अपना जवाब पेश नहीं किया गया तो आज दिनांक 31.01.17 को पारित यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अदालत के दिनांक 31.01.17 को पारित आदेशों की पालना अप्रार्थीगण द्वारा कतई नहीं की गई जिससे इनका जवाब स्वतः ही बंद हो गया था। इसके पश्चात भी दिनांक 25.10.2017 को अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। जो कि नियमानुसार पठनीय ही नहीं है। इन्होंने जानबूझकर अदालत को गुमराह कर अपना जवाब पेश कर उसे शामिल पत्रावली करवाया गया है। जो कि विधि विरूद्ध है। वकील अप्रार्थीगण के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि यह हमारे पिता की स्वअर्जित अचल सम्पति है। जिसमें हमारी बहनों प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। हमारे द्वारा इनकी शादियां अपने खर्चे पर की गई है। हमारे द्वारा ही पिता की भूमि शुरु से काश्त की जाती रही है क्योंकि हमारे पिता मृत्यु से काफी समय पूर्व के अस्वस्थ चल रहे थे। भूमि पर हमारा ही कब्जा है। भूमि रिकार्ड में संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है इसलिये प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण निरस्त फरमाया जावे।

यह कि पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुनने व पत्रावली का अवलोकन के पश्चात यह पाया गया कि चक 6 NRD तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 2073 की खाता संख्या 31 नई 29 पुरानी में प. नं. 89/319(11) कि. नं. 1 ता 25/6.200 है0 (कमाण्ड मय खाला) खातेदारी कृषि भूमि में 1.292 है0 ब0हि0ब0 प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी अंकित है। जिसको वे काश्त करने यानि इसका उपयोग व उपभोग करने की विधिक रुप से अधिकारी है। अप्रार्थीगण जो कि प्रार्थीगण के सगे भाई है इन अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के द्वारा दिनांक 15.04.2015 से जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर फसल का लाभ उठाया जाता आ रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट रुप से प्रार्थीगण के हिस्सा को अपनी बहस में व जवाब प्रार्थना–पत्र में नकारा जा चुका है। जब कि प्रार्थीगण 1.292 है0 क0 मय खाला खातेदारी कृषि भूमि की अंकित खातेदार व हिस्सेदार है। प्रार्थीगण औरत जात, ग्रामीण, अनपढ़ और अंगूठा छाप स्त्रीयां हैं जिनके हितो की सुरक्षा राज्य द्वारा की जावे, यह अपेक्षित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त स्वयं अप्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में हाजिर नहीं हुये है। इनको अदालत द्वारा 1 वर्ष 4 माह की अवधि व 18 पेशियों तक जवाब प्रार्थना–पत्र पेश करने का समय प्रदान किये जाने पर जवाब बंद कर दिये जाने के पश्चात पुनः न्यायहित में दिनांक 31.01.2017 को सशर्त अपना जवाब प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.02.2017 को पेश करने और इस दिनांक को जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 31.01.2017 के आदेश स्वतः निरस्त समझे जाने के पारित किये होने के बावजूद दिनांक 25.10.2017 को जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जिसे लिपकीय भूलवंश शामिल पत्रावली कर लिया गया। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर न्यायालय के समक्ष लाये जाने की बजाय छुपाये गये जो कि गलत व नियम विरूद्ध होने से अप्रार्थीगण के प्रस्तुत जवाब को अपठनीय माने जाने

लगातार 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

के आदेश पारित किये जाते है। प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय RRD 1995 पेज सं. 76 इस मामले में पूर्ण रुप से चस्पा होता है। समस्त परिस्थितियों को देखते हुये यह न्याय अनुकूल प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के हिस्से की खातेदारी भूमि जिस पर अप्रार्थीगण जबरन काबिज है उनसे फसल काश्त कर फसल का लाभ उठाये जाने वाली भूमि हेतु नगद प्रतिभूति की राशि 20,000/– रुपया प्रति बीघा फसल के लिये कायम की जाकर अप्रार्थीगण से वसूल कर खजानाराज में जमा करवायी जावे। वाद चलन के दौरान अप्रार्थीगण नाजायज लाभ ना प्राप्त कर सके व प्रार्थीगण के विधिक संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा हो सके। इसी दृष्टि से विचारण करने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार कर चक 6 NRD तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 2073 की खाता सं. 31 नई 29 पुरानी में अंकित मु. नं. 11 प. नं. 89/319 कि. नं. 1 ता 25/6.200 है0 क0 मय खाला खातेदारी रकबा में प्रार्थीगण के नाम से अंकित 1.292 है0 ब0हि0ब0 भूमि पर जबरन अविधिक रुप से काबिज अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को उक्त अनवान के वाद–पत्र के निर्णय होने तक की अवधि तक अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 नकद प्रतिभूति के रुप में 20,000/– रुपया प्रति बीघा, प्रतिवर्ष प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश किये जाने की दिनांक 13.07.2015 से इस आदेश की दिनांक तक की अवधि को बनने वाली राशि इस आदेश की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अन्दर तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के पास खजानाराज में जमा करावे। यह राशि प्रतिवर्ष वाद चलन के दौरान जमा की जावे। यदि अप्रार्थीगण इसे 15 दिवस में जमा करवाने में असफल रहते हैं तो चक 6 NRD तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के प. नं. 89/319(11) कि. नं. 16–17/0.506 है0, 23/1/0.077 (पूर्वी पासा), 24/1/0.228, 25/1/0.228 कुल 1.292 है0 क0 भूमि का तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। इस भूमि का कब्जा लेने के पश्चात बतौर रिसीवर तहसीलदार द्वारा नियमानुसार समय पर काश्त की व्यवस्था करवाये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को पत्र जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 24/01/2020 को यह निर्णय खुले न्यायालय में पक्षकारान के अधिवक्तागण की उपस्थिति में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.13 16:32:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: